तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज **मंगली देवी बनाम जालाराम वगैरह, मुकदमा संख्या :– 266 / 2014**	
23.07.2024	अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा लियादरा के पैतृक भूमि खसरा संख्या 6 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 7 रकबा 5.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 8 रकबा 3.29 हैक्टेयर, खसरा संख्या 9 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 11 रकबा 2.65 हैक्टेयर, खसरा संख्या 131 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 132 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 138 रकबा 2.75 हैक्टेयर, खसरा संख्या 147 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 148 रकबा 2.64 हैक्टेयर, खसरा संख्या 148 / 470 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 149 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 150 रकबा 2.18 हैक्टेयर, खसरा संख्या 150 / 469 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 151 रकबा 0.01 हैक्टैयर, खसरा संख्या 152 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 153 रकबा 4.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 153 / 471 रकबा 0.01 हैक्टेयर के आये हुए है जिसमें प्रार्थीया के पिता के 1/3 हिस्से में प्रार्थीया का मालिकाना हक हकूक जन्मसिद्व अधिकार व पुश्तैनी शांतिपूर्ण कब्जा काश्त का आया हुआ है। प्रार्थीया के पिता सांवताराम निर्वसियती फौत होने पर प्रार्थीया हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम में विहित अनुसूचि के प्रथम श्रेणी की वारिस है। प्रार्थीया के पिता सांवता की मृत्यु होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 66 ग्राम लियादरा दर्ज करते वक्त प्रार्थीया का हक हिस्सा वादग्रस्त भूमि में दर्ज करना था, लेकिन अप्रार्थी हरिराम ने राजस्व ऐजेन्सी से मिलावट कर प्रार्थीया का नाम दर्ज नहीं कर अपने हक–हकूकों पर कुठाराघात किया गया, सांवता की संपूर्ण भूमि हरिराम के नाम गैर कानूनी तरीके से इन्द्राज कर दी। प्रार्थीया के पिता सांवता ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी हरिराम को अपना गोदपुत्र स्वीकार नहीं किया था, तथा न ही गोद लेने की रस्म अदा की गई। प्रार्थीया की माता चंदू फौत होने पर चंदू के हिस्से में प्रार्थीया मंगली देवी का नाम विधिवत दर्ज किया गया, जिससे साबित है कि प्रार्थीया सांवता की उतराधिकारी है। प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या 5 हरिराम द्वारा ऐलानियां धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि में मेरा नाम दर्ज है, मैं उक्त भूमि को आगे से आगे बेचान, हस्तांतरण आदि कर दुंगा। कब्जा खाली करो, अन्यथा संपूर्ण भूमि बेचान, रहन कर आपको जबरन बेदखल करवा देंगे। अप्रार्थी गलत रूप से इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि को आगे बेचान, रहन, तर्क आदि करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीया मौके पर शांतिपूर्ण कब्जा काश्त है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है इस प्रकार तीनों मूलभूत कानूनी स्तंभ प्रार्थीया के पक्ष में होने से प्रार्थीया अस्थाई निषेधाज्ञा पाने की हकदार होने से प्रार्थीया के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 5, 6, 16 व 17 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा लियादरा की उक्त वादगस्त आराजी में सांवता के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 66 या 65 दिनांक 11.12.2004 भरकर स्वीकृत किया गया [illegible] आधार केवल मात्र पंजिबद्व गोदनामा था, जो सांवता ने अ[illegible] हरीराम के पक्ष में निष्पादित किया था वह नामान्तरकरण आज भी प्रभावी है [illegible] किसी ने चुनौती नहीं दी है जिसके कॉलम संख्या 16, पुस्तक संख्या [illegible] जिल्द संख्या 4, सिलसिला नंबर 8 / 2001, छपा नंबर 56 दिनांक 17.01.2001 है जो गोदानाम दर्शाया है तथा नामान्तरकरण का आधार [illegible]म संख्या 14 में गोदनामा दर्शाया है इस प्रकार प्रार्थीया के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया प्रकरण बन रहा है न ही सुविधा का संतुलन, क्योंकि प्रथम दृष्टया प्रार्थीया सांवता की उतराधिकारी नहीं है। तथा हीरा के जीवनकाल में प्रार्थीया का जन्म हो चुका था। प्रार्थीया छोटी होने से अपनी मां के साथ सांवता के घर में रही। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया के उतराधिकारी के संबंध में अस्पष्टता तथा विवाद है इस प्रकार प्रार्थीया को उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर उसके पक्ष में कोई मामला नही बनने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र निराधार, बेबुनियाद व दस्तावेजी सबूत के आधार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 16:42:33 IST
Reason: SelfAttested

पर अविश्वसनिय होने से खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात्, का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीया के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 5, 6, 16 व 17 के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा लियादरा के खेत खसरा संख्या 6, 7, 8, 9, 11, 131, 132, 138, 147, 148, 148/470, 149, 150, 150/469, 151, 152, 153, 153/471 में प्रार्थीया के हिस्से की खातेदारी व काश्त भूमि को रहन व बेचान नहीं करें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर
फास्ट ट्रैक, सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 16:42:33 IST
Reason: SelfAttested